य : उपखण्ड अधिकारी, दूदू

बनाम

तिथि आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11/10		
8/11/25		

2. तहसीलदार तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।

——प्रतिवादीगण

3. हरजी पुत्र सुवा जाति रैगर नि0 दांतरी तह0 दूदू जिला दूदू राज0
4. रामप्यारी पुत्री सुवा जाति रैगर नि0 दांतरी तह0 दूदू जिला दूदू राज0

——तरतीवी प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा तरमीम दुरूस्ती एवं स्थायी निषैधाज्ञा

उपस्थिति – श्री भैरूलाल शर्मा

विद्वान अधिवक्ता वादीगण

प्रतिवादी सं0 1/1 ल0 1/9 इकतरफा कार्यवाही

प्रतिवादी सं0 2 स्वयं उपस्थित

छोटूलाल गुर्जर

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 3 व 4

निर्णय

दिनांक

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद बाबत घौषणा तरमीम दुरूस्ती एंव स्थायी निषैधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0 नं0 2536 रकबा 3.0348 है0 एवं ख0न0 2537 रकबा 1.2645 है0 भूमि वाके ग्राम दांतरी तह0 दूदू जिला दूदू राज0 में स्थित है, जिसकी वर्तमान खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 3 व 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा ख0न0 2555 रकबा 1.8715 है0 भूमि वाके ग्राम दांतरी तह0 दूदू जिला दूदू में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है। ख0न0 2574 गै0 मु0 रास्ता सडक है जो की मौके पर कदीमी बनी हुयी है। उक्त रास्ता पर्चा सेटलमेन्ट संवत 2011 के नक्शे में भी कायम साबिक नक्शा ट्रेस में दर्ज ख0न0 2536 एवं 2537 के पश्चिमी ओर सडक अवस्थित है जिसके ख0न0 2574 है तथा सडक के लगवा पूर्वी ओर ख0न0 2536, 2535, 2537 वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 3 व 4 की खातेदारी कब्जे

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

पर साबिक नक्शा ट्रेस आराजी ख0न0 2537 के सामने रास्ते के लगवा उत्तरी दक्षिणी मेड के मध्य लाईन खिंची जाकर कटी हुई है। रकबा नजरी नक्शे एंव मौके अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष उचित प्रतीत होता है। इसी प्रकार ख0न0 2555 के भी मौके अनुसार एवं साबिक नक्शा अनुसार मौके पर काबिज काश्त होना प्रतीत होता है तथा साबिक नक्शा ट्रेस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया जिसका अवलोकन किया गया। अवलोकन एंव विवेचन से वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद बाबत घोषणा तरमीम दुरूस्ती स्वीकार फरमायी जाकर आराजी ख0न0 2536 रकबा 3.0348 है0 एवं ख0न0 2537 रकबा 1.2645 है0 ख0न0 2555 रकबा 1.8715 है0 वाके ग्राम दांतरी तह0 दूदू जिला जयपुर की वर्तमान तरमीम हजफ की जाकर साबिक नक्शा ट्रेस में दर्ज तरमीम एवं कब्जे एंव मौके के अनुसार नवीन तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। पालानार्थ तहसीलदार दूदू को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.01.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी दूदू

उपखण्ड अधिकारी
दूदू